निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 45 / 2025
दायरा दिनांकः–04.06.2025
निर्णय दिनांकः– 30.7.25

उनवान

1. सुखपाल सिंह आयु 31 वर्ष पुत्र जगदीशसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खेरखेडानाथुराम तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 30.7.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री चन्द्रमोहन सिंह राठौड – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम खेरखेड़ा नाथूराम तहसील छबडा में भूमि खसरा नं 41 / 102 रकबा 0.4046 है०, खसरा नं0 45 की रकबा 0.6323 है०, खसरा नं० 55 की रकबा 0.2782 है०, खसरा नं0 57 की रकबा 0.1265 है०, खसरा नं0 63 की रकबा 0.0126 है०, खसरा नं0 84 की रकबा 12.1898 है०, खसरा नं0 86 की रकबा 1.0116 है०, खसरा नं0 87 की रकबा 1.3657 है०, खसरा नं0 90 की रकबा 3.1992 कुल किता 09 कुल रकबा 19.2205 हैक्टेयर भूमि अवस्थित चली आ रही है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/44 राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र की मद नं० 1 में वर्णित भूमि पर गत कई वर्षो से काबिज रहकर शांतिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता जगदीशसिंह को फौती इंतकाल खोलते समय राजस्व कर्मचारियों के सहवन से प्रार्थी का नाम इंतकाल में सुखपालसिंह के स्थान पर घर में बोलता नाम शिशुपालसिंह दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का नाम सुखपालसिंह है जिसे दूरस्तीकरण किया जाकर शिशुपालसिंह के स्थान पर सुखपालसिंह किया जाना अत्यंत न्यायोचित व आवश्यक है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान–पत्र, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, सभी में प्रार्थी का नाम सुखपालसिंह ही

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

गी है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की मद नं० 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम शिशुपालसिंह दर्ज होने से उसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओं के लाभ व फसल मुआवजा राशि से वंचित होना पड़ रहा है प्रार्थी प्रार्थना पत्र की मद नं० 1 में वर्णित भूमि के खाते पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर ऋण प्राप्त कर ट्यूबवेल लगाकर तार फैन्सिंग कर भूमि समतल करवाकर प्रगतिशील काश्त करना चाहता है परन्तु प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में नाम दूरस्तीकरण किये बिना संभव नहीं है। प्रार्थी दिनांक 10.06.2025 को किसान क्रेडिट कार्ड बनवानें के लिए हल्का पटवारी के पास अपने खाते की नकल लेने गया तो उसे हल्का पटवारी ने राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम की त्रुटि की जानकारी हुई।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खेरखेडानाथुराम तहसील छबडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 15 पेश की गई फोटो प्रति आधार कार्ड मतदाता फोटो पहचान पत्र परिवार राशन कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खेरखेडानाथुराम तहसील छबडा में स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/44 हिस्सा दर्ज है प्रार्थी के पिता जगदीशसिंह का फोती नामान्तरण खोलते समय राजस्व समय राजस्व रिकार्ड में सहवन से सुखपालसिंह के स्थान पर शिशुपाल सिंह दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी का नाम सुखपालसिंह है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में शिशुपालसिंह के स्थान पर सुखपाल सिंह दर्ज किया जावें। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम सुखपालसिंह दर्ज है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में शिशुपाल सिंह गलत नाम दर्ज होने के कारण केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओं के लाभ से वंछित होना पड रहा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में शिशुपाल सिंह के स्थान पर सुखपाल सिंह दर्ज किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम खेरखेडानाथुराम की जमाबन्दी खाता संख्या 15 में खसरा नम्बर 41/102,45,55,57,63,84,86,87,90 कुल किता 9 रकबा 19.2205 है0 में शिशुपाल सिंह पुत्र जगदीश सिंह हिस्सा 1/144 जाति राजपूत सा0देह दर्ज रिकार्ड है उक्त प्रकरण में शिशुपाल सिंह के सही नाम की जानकारी मौके पर उपस्थित ग्राम वासियों से की गई मुताबिक ग्राम वासियान के शिशुपाल सिंह पुत्र जगदीश सिंह को सुखपाल सिंह पुत्र जगदीश सिंह के नाम से जाना व पुकारा जाता है ग्राम वासियान ने बताया कि शिशुपाल सिंह का सही नाम सुखपाल सिंह हे एवं शिशुपाल सिंह व सुखपालसिंह दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है ग्राम वासियान ने बताया कि सुखापालसिंह पुत्र जगदीश सिंह राजपूत ही सही नाम हे उक्त सम्बन्ध में अन्य दस्तावेजों से भी जॉच की गई। जिसमें सुखपालसिंह पुत्र जगदीश सिंह राजपूत दर्ज है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खेरखेडानाथुराम सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 15 में शिशुपाल सिंह पुत्र जगदीशसिंह हिस्सा 1/144 दर्ज है फोटो प्रति आधार कार्ड, जन आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड, में प्रार्थी का नाम सुखपाल

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

ह पुत्र जगदीशसिंह जाति राजपूत दर्ज है। इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में शिशुपाल सिंह दर्ज है तथा प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात में सुखपाल सिंह दर्ज है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज है जिसे प्रार्थी दुरूस्त कराना चाहता है प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात एवं तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का सही नाम सुखपालसिंह पुत्र जगदीशसिंह है प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में शिशुपाल सिंह के स्थान पर सुखपाल सिंह दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का नाम शिशुपाल सिंह के स्थान पर सुखपाल दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम खेरखेडानाथुराम तहसील छबडा के खाता संख्या 15 के कुल खसरा नम्बर 9 किता रकबा 19.2205 है0 प्रार्थी का नाम शिशुपालसिंह के स्थान पर सुखपालसिंह दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबड

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)